The Indian Journal of Basic and Applied Research
Volume 1 |Issue 5| April 2016
Online & print@ www.ijbar.co.in
E- ISSN No: 2454-4639
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

# नगरीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति

**डॉ आलोक कुमार**
सहायक अध्यापक समाजशास्त्र विभाग
रामखेलावन द्विवेदी महिला महाविद्यालय
खागा,फतेहपुर

जिस पर्यावरण में मनुष्य रहता है, उस पर्यावरण का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पर पड़ता है। नगरीय पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों का रहन–सहन, बातचीत, शिष्टाचार, प्रदर्शन के तौर–तरीके, खान–पान, भाषा, वेशभूषा आदि विशिष्ट होती है। यही कारण है कि नगरीय समाज की महिला चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, कामकाजी या गैर कामकाजी, ग्रामीण महिलाओं से उसकी जीवन पद्वति अलग होती है। शिक्षा, रोजगार, कानूनों का ज्ञान नगरीय समाज की अशिक्षित महिलाओं को भी होता है, क्योंकि इसकी सुविधा नगरों में रहने के कारण इन्हें प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव देखने को मिलता है। यदि शिक्षा की बात है तो नगरों में उच्च शिक्षा, कोचिंग की सुविधा, महानगरों में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सहूलियतें पर्याप्त हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जिन्हें जानकारी है, वे नगरों में आकर इनका लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि प्रायः नगरीय महिलायें शिक्षित, उच्चशिक्षित होती हैं। प्रायः उच्च और मध्यम वर्ग की महिलायें शिक्षा के साथ रोजगार की दिशा में भी अग्रसर हैं, निम्न वर्ग की महिलायें घरेलू कामगार या रेजा, मजदूर के रूप में पहले से ही आत्मनिर्भर है। नगरीय महिलाओं का पालन पोषण भी अलग माहौल में होता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना के नियंत्रण यहां कम लागू होते हैं। यही कारण है कि इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बछेन्द्री पाल, प्रेम माथुर, प्रतिभा पाटिल, द्वचा मिश्रा, मेरी कॉम, कल्पना चावला, चंदा कोचर, नीता अंबानी, लता मंगेशकर, ऐश्वर्या राय बच्चन, इंदिरा नूयी आदि प्रसिद्व हस्तियां नगरीय महिलायें हैं, परन्तु इन गिने चुने नामों से यह मान लेना कि नगरीय सभी महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति बहुत अच्छी होती है, सभी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुखी होती हैं, असत्य हैं। महिला चाहे ग्रामीण हो या नगरीय, उत्पीड़न के लिए उसका महिला होना ही पर्याप्त है। एक ओर देश बड़ी तेजी से रूढ़ियों को पीछे छोड़ ऊँचाई की ओर बढ़ रहा है, सड़ी–गली मान्यताओं को धक्का दे–देकर अपने से जुदा कर रहा है, अत्याधुनिक जीवन शैली अपना रहा है, परन्तु बात जब महिलाओं की प्रस्थिति की आती है, तो तमाम शीर्षस्थ सशक्त महिलाओं की उपस्थिति के बावजूद नगरीय महिला आज भी कई मोर्चों पर अंधेरों में कैद है। वह रोज छटपटाती है, रोज मरती है। आधी आबादी कहलाने बाद भी वह पुरूष समाज के साथ बराबरी का 'आधा भाग' नहीं पाती। उसकी दशा पुरूष के अधीन ही है, जो मनुस्मृति में वर्णित है –

''पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षति स्थाविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र मर्हति।।'' (मनुस्मृति 9–3)

वह कितनी भी ऊँची उड़ान भर ले, भरना चाहे, नीचे समाज हाथ में कैंची लिए तत्पर खड़ा ही मिलता है। अवसर मिलते ही पर कटे, अवसर कौन से हैं – उसकी प्रथम दस्तक ही पहला अवसर है। जैसे ही गर्भ में कन्या भ्रूण का पता चलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका प्रतिशत भी नगरीय और शिक्षित माताओं में अधिक है। कारण मोक्ष की चाहत, दहेज से बचत और वर्तमान में लड़कियों को दुष्कर्म, छेड़छाड़ से बचाने के लिए भी कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है।

आज के घोर भौतिकवादी युग में कन्या यदि सहर्ष धरा पर अवतरित हो गयी तब भी उसका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। जिस देश में नवरात्रि में कन्या पूजन की प्रथा है, जहां कन्या को देवी तुल्य माना जाता है, उसी देश में छोटी बच्चियाँ दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं, समाज के कर्णधार जब महिलाओं के फैशन और वस्त्रों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूकते। वे यह भूल जाते हैं कि इन अबोध बच्चियों का क्या दोष जिन्हें खिलने के पहले ही मसल दिया जा रहा है। माता–पिता बिना भेदभाव से उनका पालन–पोषण कर दें, उसे शिक्षित बनायें, उसका कैरियर भी सुनिश्चित कर दें, परन्तु दिल्ली की दामिनी का क्या दोष था। यही न कि वह ''महिला'' थी, प्रकृति ने उसे स्त्री के अंग देकर जन्म दिया था। मुम्बई की फोटो जर्नलिस्ट, मुजफरनगर की बहनें, सभी जगह इन घटनाओं की बाढ़ है, घर से निकली बेटी सुरक्षित घर लौट आये, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौच के लिए या जंगल लकड़ियां लेने गयी महिलायें सुरक्षित नहीं है। वैसे ही नगरों में पढ़ायी लिखायी, कामकाज, बाजार, ट्रेन–बस, पार्क में गयी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गयी हैं। जिस तेजी से सामाजिक वातावरण, संस्कारों का अधःपतन हुआ है, रिश्ते–नाते तार–तार हो गये हैं। महिलाओं को बहन, बेटी, माता के रूप में देखने की नीयत ही नही रह गयी है, शेष पूरा समाज पुरूष है और वह स्त्री है, जिसका भोग करना है। यही स्थिति रही तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पीछे लौटकर साम्यवादी, बर्बर अवस्था में पहुंच जायेगी। स्त्री शिक्षा के द्वार बंद कर, पर्दा प्रथा और बाल विवाह में जैसे प्राचीन समय में जकड़कर स्त्रियों को घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था। यदि वही स्थिति वापस लौट रही है, तो हमारे विकास के दावे खोखले हैं।

छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या, दैहिक मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इन पर महिला का विशेषाधिकार है। अपने को उच्च शिक्षित, विकसित और सभ्य समाज के कर्णधार बताने वाले नगरों में भी महिलाओं की ''टोनही'' के नाम पर प्रताड़ना बदस्तूर जारी है। प्रताड़ित करने वाले बैगा, समाज के ठेकेदार, रिश्तेदार, सब पुरूष और वह कोई विधवा, अनाथ या असहाय महिला। ;पुरूष कभी ''टोनहा'' नहीं होताद्ध छत्तीसगढ़ के कोरबा में अंधविश्वास की पराकाष्ठा थी, मकर संक्रान्ति के दिन बेलगरी बस्ती में 5 वर्ष से कम उम्र की 8 अबोध बच्चियों की शादी कुत्ते के बच्चों से की गई। विवाह के लिए कुत्तों को बाकायदा तैयार किया गया, उन्हें कपड़े पहनाये गये, हाथ–पैरों में माहुर लगाया गया, गले में माला डाली गयी, कुत्ते से बच्चियों की मांग भराई गयी, बारात निकाली गयी। नाच गाना, प्रीतिभोज सब हुआ। यह सब हुआ बच्चियों के ग्रह दोष मिटाने के लिए पुरोहित के निर्देशानुसार। एक प्रसि( अभिनेता ने अपने अभिनेता पुत्र की अभिनेत्री से विवाह के पूर्व मंगल शांति के लिए बहु का वृक्ष से विवाह करा दियाथा। यह महानगर मुंबई की अत्याधुनिक महिला की प्रस्थिति है। गत वर्ष फरवरी 2013 में कुंभ के मेले में किये गये एक सर्वेक्षण के प्रमुख वैज्ञानिक गौहर रजा के अनुसार ''भारतीय अब भूत–प्रेत पर विश्वास नहीं करते'' परन्तु उपर्युक्त उदाहरणों से उनके अंधविश्वासी होने में कहीं कमी नहीं दिखती वह भी नगरीय समाज में।

नगरीय महिलायें ही देह व्यापार में सबसे ज्यादा लिप्त हैं, चाहे भूख के कारण, दोस्तों के धोखे के कारण, रिश्तेदार, पति के कारण या मानव तस्करी के कारण परंतु सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री मुंबई में वेश्याओं की संख्या लगभग 2 लाख है जिसमें से आधी एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। सबसे बड़ा रेडलाईट एरिया कोलकाता में तथा अन्य शहरों में भी रेडलाइट एरिया है। महानगरों एवं नगरों में महिलाओं को इन स्थानों पर धकेल दिया गया है। देवस्थानों पर भी वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, ताजा उदाहरण केरल के पद्मनाभ मंदिर का मीडिया में अभी चर्चित रहा है। बंगाल में यदि कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है, तो उसके परिवार की महिलाओं को अपनी देह देकर कीमत चुकानी पड़ती है, इसे ''चुकरी प्रथा'' कहते हैं। 1976 में सरकारी कानून बनने के बाद 28,50,000 महिलाओं को कर्ज चुकाकर छुड़ाया जा सका है। शहरी जीवन को विश्वस्तरीय सुविधा देने की जो नई अर्थव्यवस्था आयी है, इसने भी भेड़–बकरियों की तरह औरतों–बच्चों की बिक्री को बढ़ावा दिया है। ''फलक'' की दो बरस की जिंदगी में जो तूफान आया था। स्त्री–त्रासदी की पराकाष्ठा है, जहां पति ने बच्चों सहित अपनी पत्नी को बेच दिया, फिर बच्चों को भी अलग–अलग बेच दिया गया। प्रतिवर्ष राजस्थान, हरियाणा में असमान लिंगानुपात के कारण देशभर से ब्याह के नाम पर लड़कियां खरीदी जाती हैं। दिल्ली में घरेलू काम के लिए प्लेसमेंट सेल के द्वारा लड़कियां लायी जाती हैं, जिनका यौन–शोषण भी मालिकों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के इतर लिव इन रिलेशनशिप की प्रथा भी नगरों में प्रचलित है। जिन्हें परिवार का नियंत्रण पसंद नहीं है, वे ऐसे संबंधों में बंधे हैं। भोपाल में महिला अफसर की हत्या इन्हीं संबंधों के कारण हुई थी। जब ऐसे संबंध टूटते हैं तो उसका खामियाजा केवल महिला को भुगतना पड़ता है क्योंकि भारतीय समाज में ''महिला''ही दोषी होती है। दूसरी शादी आज भी मुश्किल है। ऐसे में महिला को समाज में फिर से स्वीकारना मुश्किल है। कानून ने इन संबंधों को मान्यता प्रदान किया है। इसके साथ ही दिल्ली गैंग रेप के पश्चात् कुंवारे संबंधों की भी वकालत की गई। भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से चार आश्रम और चार पुरूषार्थों की व्यवस्था रही है, परंतु सहमति से सेक्स की अवस्था 16 वर्ष करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत में विवाह पूर्व संबंध अवैधानिक, असामाजिक, अनैतिक और अपवित्र माने जाते हैं अन्यथा कुंती को अपना प्रथम प्रखर पुत्र मंझधार में प्रवाहित नहीं करना पड़ता। स्वछंद विवाह पूर्व संबंधों का बड़ा उदाहरण गुजरात के गरबा पंडाल में देखने को मिला, जहां सरकार को कंडोम के स्टॉल लगाने पड़े। अजीब विरोधाभास पूजा और भोग। सर्वे ने स्पष्ट किया कि नवरात्रि के बाद गर्भपात की संख्या में अचानक भारी वृद्वि हो रही है। युवा वर्ग के ये बढ़ते कदम और सरकार व्यवस्था की मौन स्वीकृति। विवाह तय होते साथ वर्तमान समय में युवाओं को डेटिंग की जो आजादी दी जा रही है, संबंध टूटने पर लड़कियों को उसका मानसिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले विवाह के पश्चात दंपत्ति वर्षों एक–दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते थे। अब विवाह के पूर्व फेसबुक, फोन, डेटिंग आदि के द्वारा एक दूसरे को इतना जान लिया जाता है कि कुछ संबंध तो विवाह तक पहुंचते ही नहीं। यही कारण है कि आत्महत्या, डिप्रेशन आदि की स्थिति महिलाओं में ज्यादा बढ़ गयी है और वह भी महानगरों और बड़े शहरों में। नगरीय समाज में पुरूष शिक्षित होने के कारण महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा प्रतिशत कम है अन्यथा पढ़ी–लिखी, उच्च पद पर कार्यरत पत्नी भी अपने पति की

The Indian Journal of Basic and Applied Research
Volume 1 |Issue 5| April 2016
Online & print@ www.ijbar.co.in
E- ISSN No: 2454-4639
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

शंका, पिटायी, ताने, प्रताड़ना की शिकार होती है। घरेलू हिंसा और सामाजिक अपराध उसके साथ भी हो रहे हैं।

सीमोन द वीउवार ने भी महिला की दोयम दर्जे की स्थिति देखकर लिखा था कि ''स्त्री को मानवी रहने दिया जाय, उसे देवी बनाकर पत्थर की मूर्ति जिसमें कोई भाव नहीं होतेद्ध की भांति व्यवहार न किया जाय'' परंतु भारतीय समाज में महिला के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध होने के पश्चात् जिन नेताओं को कठोर कानून बनाकर उसका पालन कराना है, वे ही ऐसे ऐसे बयान देते है कि देश शर्मसार हो जाता है, फिर बवालमचता है तो मीडिया के ऊपर प्रहार करते हैं कि हमारा बोलने का यह मतलब नहीं था, मीडिया ने तोड़–मरोड़कर पेश किया या ज्यादा हल्ला मचा तो माफी मांग ली। इससे स्त्री मान मर्यादा की पुर्नस्थापना हो जाती है। यदि महिलाओं की स्थिति अच्छी होती तो न तो महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है, (प्रतिवर्ष 8 मार्च को) 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाने के पश्चात् महिलायें कितनी सशक्त हुई हैं, यह सर्वविदित है। 25 नवम्बर महिला उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 दिन इस प्रकार का आयोजन करने से महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति मजबूत होगी यह एक छलावा है, क्योंकि ये आयोजन नगरों में होते हैं और नगरीय महिलायें भी सभी उत्पीड़न को झेल रही हैं, बराबरी की मांग करते–करते थकने के पश्चात् आसन्न लोक सभा और विधानसभा चुनाव में भी कम महिलाओं को ही टिकट दिया गया। देश में 2 करोड़ 42 लाख कामकाजी महिलाएं हैं, जिनका कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकने हेतु ''विशाखा'' कानून बना हुआ है। भारत पुरूष प्रधान देश है। अतः महिलाओं की प्रस्थिति को उच्च बनाने में उन्हें अपनी सामन्तवादी सोच को तिलांजली देना होगा।

स्त्रियों को पैर की जूती समझने की भूल कर नैना साहनी हत्याकांड जैसे जघन्य कृत्य न किये जाये, क्योंकि कल तक महिला को केवल कोख माना जाता था, आज वह समाज को चलानेवाली शक्तिशाली ''स्त्री'' बनने की ओर बढ़ रही है। ठीक है कि रास्ते बहुत आसान नहीं है लेकिन परिवार की चहारदीवारी को लांघकर महिला जिस तरह से नगरीय माहौल में आगे बढ़ी है वह अब लौट नहीं सकती। वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक जागरूकता में काफी वृद्वि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों में पर्दा प्रथा के प्रति नया नजरिया देखने को मिला है। वे अब अर्न्तजातीय विवाह, प्रेम विवाह और विलम्ब विवाह को भी उचित समझने लगी हैं। जातीय नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता निरंतर बढ़ रही है। आज वे महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं और समाज कल्याण के कार्यों में भी लगी हुई हैं। महिला उन्नति के शिखर की ओर दौड़ लगा रही है, पश्चिम का अंधानुकरण कर रही हैं, परंतु उसे अपनी मर्यादा हमेशा याद रखना चाहिये कि इतनी उच्छ श्रृंखल न बन जायें कि भारतीय नारी की विशेषता ''श्राद्व की सरिता'' ही समाप्त हो जाय।

महिलायें घरेलू और सामाजिक दोनो हिंसाओं से ग्रस्त हैं, नगरीय समाज में भी महिलाओं को मार्निंग वॉक में निकलते समय अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी हिंसा से लेकर शेष सभी हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे सुरक्षा के लिए कानून बने हैं – बाल विवाह निरोधक कानून 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भ के दौरान यौन परीक्षण प्रतिबंधन अधिनियम 1994, सतीकरण निवारण अधिनियम 1987, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, स्त्री अशिष्ट ;प्रतिबंधद्ध अधिनियम 1986, चलचित्र अधिनियम 1952, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी अधिनियम 1971, भारतीय दंड संहिता 1860, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, छत्तीसगढ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, गोद लेने के अधिकार में संशोधन करते हुए पति से अलग रह रही विवाहित महिला को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया गया। गार्डियन्स एवं वार्डस एक्ट 1990 में संशोधन कर पिता के साथ माता को भी अभिभावक नियुक्त किया गया, अब पिता की मृत्यु होने पर अदालत को किसी अन्य व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त करने की जरूरत नहीं होगी, माता ही अभिभावक होगी। सन् 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन न देने पर टिप्पणी कर इसकी राह भी खोल दी, अन्यथा महिलाओं को अब तक सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के तहत अधिकतम 14 सालों तक नियुक्त किया जाता है, जबकि पुरूषों को 5 वर्ष बाद स्थायी कमीशन दे दिया जाता है।

पति से अलग रहने के बावजूद किसी हिन्दू विवाहित महिला को उसके ससुराल वाले घर से नहीं निकाला जा सकता और न ही इस स्थिति में उससे ससुराल में रहने के लिए किराया मांगा जा सकता है। खाप पंचायत और मुस्लिम शरीयत अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। घरेलू कामगारों (महिलाओं) के लिए सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बनाने हेतु विधेयक लाया गया है।ऑनर किलिंग के आरोपियों के लिए कड़े दंड के प्रावधान का विधेयक। महिलाओं की प्रस्थिति ऊँचा उठाने के लिए बहुत से कानून बनायेगये, उनका पालन सुनिश्चित हो, साथ ही उनका दुरूपयोग न हो इसका भी ध्यान रखना होगा। धारा 498 ए और 304 बी का दुरूपयोग भी बहुत होता है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए भी हाल ही में व्यवस्था दी है कि केवल खून के रिश्तेदार ही 498 ए में आरोपी बनाये जायें और पहले जाँच हो बाद में गिरफ्तारी। इससे संभवतः पुरूषों को राहत मिले क्योंकि कानून का डर होना चाहिये, उसका दुरूपयोग नहीं।

नगरीय महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति तुलनात्मक रूप से उच्च होने का कारण शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन है। शिक्षित महिला दकियानूसी सोच से भी ऊपर उठती है। यही कारण है कि विभिन्न अंधविश्वासी परम्पराओं में बदलाव दिख रहा है। ये शिक्षित महिलायें चंद न हो इसके लिए सामाजिक वातावरण तैयार करना होगा। महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक मिले, पुरूषों को अपनी सोच को भी विस्तृत करनी होगी। महिला को देह मानने की बजाय माँ, बहन, बेटी का सम्मानित दर्जा मिले। नगरीय महिला है तो शिक्षा के लिए रोजगार के लिए, देर रात तक निकलने घूमने, फिरने के कारण उनके प्रति शंका भरी निगाहें न हों, अन्य महिलायें भी कामकाजी महिलाओं के प्रति द्वेष भरी निगाहें न रखें, जो नगरीय महिलायें हिंसा की शिकार हो गयी है, उनका दोष खोजने की कोशिश न कर, उनके प्रति सहानुभूति रखें। तभी महिलायें अपने साथ घटित घटनाओं को समाज के सामने लाने की हिम्मत कर पायेंगी, अन्यथा उन्हें ही दोषी मानने पर वे चुप रहना उचित समझेंगी फिर उनके नगरीय उच्च शिक्षित आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने का क्या लाभ। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में न्याय मिलते इतना देर हो जाता है कि वह वास्तव में अन्याय लगने लगता है। दामिनी केस के बाद ऐसे मामले विशेषकर दुष्कर्म के, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाये जा रहे हैं, यह स्वागतेय है। ग्रामीण महिला सीधी–सादी, भोली–भाली होती हैं औरनगरीय महिला तेज तर्रार, इसलिए उसके साथ अधिकांशतया विपरीत स्थिति निर्मित होती है, इस धारणा को समाप्त करना होगा क्योंकिवातावरण के अनुसार ढलना ही महिला अपनी नियति मानती हैं, यही कारण है कि दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी स्वरूपा यह नारी कभी अबला रू‍प में अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त भी करती है। नगरीय महिलायें विवाह, कैरियर, बच्चों की शिक्षा पालनपोषण आदि मामलों में निर्णय लेने में बहुत हद तक स्वतंत्र हैं। एकाकी परिवारों में उनके निर्णयों को मान्यता भी दी जाती है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, विभिन्न राज्यों की राज्यपाल महिला हैं। नगरीय समाज में महिला उच्च सामाजिक प्रस्थिति को धारण करती है। स्वयं उच्च पद पर आसीन है तो परिवार के सदस्यों को भी शिक्षित और स्वावलंबी बनाती है, मजदूर है तब भी बच्चों को पढ़ाने–लिखाने का स्वप्न देखती है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में जागरूकता आयेगी ऐसा वह भी जानती है, परंतु साथ ही विभिन्न हिंसाओं से भी ग्रस्त है, जो सामाजिक विचारधारा के बदले बिना नहीं बदलेगा, यदि यह मानसिकता बदल जाय तो संभवतः प्राचीन उक्ति सार्थक सिद्व हो कि –

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता''

## संदर्भ ग्रंथ सूची–

1.यादव, वीरेन्द्र सिंह, 201: नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण, दरियागंज दिल्ली–ओमेगा पब्लिकेशन्स।
2. बाजपेयी दुर्गा एवं शारदा दुबे, 2012 : स्वयं का लेख– भारतीय नारी कल और आज (संपादक एस. अखिलेख एवं संध्या शुक्ला) रीवा 3. न्याय संगवारी–छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर (छ.ग.)
4. शर्मा रमा, एम.के. मिश्रा, 2010:भारतीय समाज में कार्यशील महिलायें, नई दिल्ली – अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस।
5. द्विवेदी राधेश्याम, 1992 महिलाओं का उत्पीड़न और विधिक उपचार, इलाहाबाद : मलहोत्रा पब्लिशिंग हाऊस।
6. जैन शशि के. 2001:नगरीय समाजशास्त्र, जयपुर–त्रिपोलिया पब्लिकेशंस। समाचार पत्र–
7. दैनिक भास्कर, नवभारत, मधुरिमा, सुरूचि